

## न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 41/2016  
विविध प्रार्थना पत्र संख्या 121/2017

विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढ़ मुख्यालय सिलोरा जिला अजमेर जरिये  
विकास अधिकारी श्री बीरबल सिंह जानू।

.....प्रार्थी

### बनाम

1. श्री मौहम्मद खां पुत्र श्री सुल्तान खां निवासी ग्राम पंचायत पनेर पंचायत समिति किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. श्री रतनलाल सोलंकी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पनेर पंचायत समिति किशनगढ़, जिला अजमेर।
3. श्री भागचंद गनवानी तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत पनेर पंचायत समिति किशनगढ़ हाल पदस्थापित ग्राम पंचायत सांगानेर पंचायत समिति सांगानेर जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्राथमिक आपत्ति प्रा० पत्र सपठित धारा 97  
राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

### उपस्थित :-

1. श्री राजीव सक्सेना, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शौकिन्द लाल गुर्जर, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

### —: आदेश :-

दिनांक 26.04.2017

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम पंचायत पनेर पंचायत समिति किशनगढ़ द्वारा दिनांक 30.11.2004 को ग्राम पनेर के आराजी खसरा नम्बर 446/1 में से श्री मौहम्मद खां पुत्र श्री सुल्तान खां निवासी ग्राम पंचायत पनेर पंचायत समिति किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में 91.11 वर्गगज भूमि का नियमानुसार राशि प्राप्त कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा संख्या 60/42 जारी किया गया। निगरानीकार द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किए गये विवादित भूमि के पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए पट्टा निरस्त करने हेतु यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाने हेतु मांग पत्र जारी किया गया किन्तु श्री अरुण कुमार शर्मा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत पनेर पंचायत समिति किशनगढ़ द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा अब अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इसके साथ ही अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये।



  
अपर कलक्टर  
अजमेर

अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने प्राथमिक आपत्ति निगरानी संधारण योग्य नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने से इन्कार कर दिये जाने पर प्रार्थना पर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका में अंकित समस्त तथ्य आधारहीन तथा बेबुनियाद है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा समस्त तथ्यों की जांच कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। वकील अप्रार्थी का कथन है कि आक्षेपीय पट्टा सरपंच श्री रतनलाल सोलंकी द्वारा जारी नहीं किया है बल्कि तत्कालीन सरपंच श्री प्रतापराम द्वारा जारी किया है तथा पट्टा जारी होने के पश्चात् उपपंजीयक रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 18.10.2004 को पंजीकृत किया जा चुका है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण के आक्षेप एवं जांच रिपोर्ट व जिला परिषद अजमेर के पत्र क्रमांक/जिपअ/पंचायत 10/1869 दिनांक 21.09.2010 के आधार का प्रकरण के पैरा संख्या 3 में अंकित कर प्रस्तुत किया गया है, जो प्रकरण में समाहित नहीं होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व आक्षेपीय पट्टा एवं मौके की भौतिक स्थिति बाबत् जांच रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा निगरानी में स्वयं द्वारा उठाये गये आक्षेप अपने आप में विरोधाभाषी है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है बल्कि उक्त खसरा नम्बर में मिडिल स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक तरफ वीरतेजा साबुन फैक्ट्री का भवन अप्रार्थी का बना हुआ है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि जांच रिपोर्ट दिनांक 01.09.2008 में विवादित भूखण्ड खसरा नम्बर 446/1 में होना दर्शाया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का पट्टाशुदा भवन व भूखण्ड खसरा नम्बर 245 में स्थित है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 के भूखण्ड व पट्टा के सीमाकन का मिलान नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी अधिकार के अपनी हठधर्मिता के आधार पर प्रकरण में गलत अभिकथन एवं दस्तावेज के विरुद्ध व विधिक प्रावधानों से बाहर जाकर अप्रार्थी को मानसिक आर्थिक क्षति कारित करने की गरज से प्रकरण की ताईद अधिकारी होते हुए भी झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निगरानी पेश की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि पंजीकृत दस्तावेज पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय हर्जे खर्चे के निरस्त की जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि आक्षेपीय पट्टा बाबत् कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत की गई है। अतः सिविल राईट सुरक्षित रखते हुए निगरानी का निस्तारण किया जाना न्यायोचित होगा।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा तत्कालीन सरपंच श्री रतनलाल सोलंकी के सरपंच पद पर रहते हुए उनके द्वारा जारी पट्टों की शिकायत पर बाद जांच प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा श्री सोलंकी द्वारा जारी नहीं किया जाकर तत्कालीन




अजमेर

सरपंच श्री प्रतापराम द्वारा जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं होना माना है जबकि उक्त भूखण्ड पर निर्मित भवन में साबुन फैक्ट्री चल रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी याचिका निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 26.04.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(किशोर कुमार)  
अपर कलेक्टर, अजमेर  
अपर कलेक्टर, अजमेर